

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2249

Dated 4-12-2004

नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास बोर्डन)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2004

सा.का.नि. 409.—भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57 तारीख 9 फरवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

क्रमांक संख्या (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समूह "क") भर्ती नियम 2003 है।

इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समूह "क") भर्ती नियम 2004 है।

[फा. सं. बी आर बी बी/01/59/1999/बी ई-1]
एस. के. शर्मा, अवर सचिव

(Border Roads Development Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2004

G.S.R. 409.—The following amendments may be made in the Notification of the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways Number GSR 57 dated 09th Feb 2004 published in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-section (1) :—

(i) Against the entries under Srl. No. 1 Short title and commencement

For—(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 2003.

Read—(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 2004.

(ii) Against the entries at Srl. No. 5 pertaining to Medical Officer Grade II in Column 14 (in English version only)

For Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Read Consultation with Union Public Service Commission necessary.

The above corrections may be made in the original Gazette Notification.

[F. No. BRDB/01/59/1999/GE-1]

S. K. SHARMA, Under Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 240—248

Dated 21-2-2004

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004

सा. का. नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समूह "क") भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल में समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समूह "क") भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपायद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

6. सेवा के लिए दायित्व के संदर्भ में विशेष भर्ती.—सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा अपेक्षित हो जो किसी भी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर जिसकी अवधि चार वर्ष से कम न हो, जिसमें प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि भी है, यदि कोई है, के लिए बाध्य होगा।

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति :—

(क) जिसने नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो को उपोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, तथा
(ख) साधारणतः 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उपोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि जब कभी भी विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होगा तो इन व्यक्तियों के रक्षा सेवाओं में आगे भी या रक्षा उपक्रमों से संबंधित कार्यों पर भारत में कहीं भी या विदेश में, कार्य करना आवश्यक होगा।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाधित, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समान-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम : मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. पदों की संख्या : 1* (2003)

515 RT&H/2004

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(1)

3. कर्तव्य करण : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अनुसूचिपूर्वक
4. वेतनमान : रु. 18,400-500-22,400
5. चयन अथवा अस्वीकरण : 18,400-22,400 व्यवसाय नियुक्ति भत्ता जब किन्हीं सिविलियन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पद धारण किया हुआ हो।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : नोट : जब इस पद पर रक्षा सेवा की नौकरी के लिए प्रयोगित या समतुल्य पंक्ति के सैन्य चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हो। प्रिगेडियर को लागू वेतनमान और पंक्ति वेतन लागू होगा।
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है : चयन
8. सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : लागू नहीं होता।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी : लागू नहीं होता।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : लागू नहीं होता।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रोन्नति
12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा : प्रोन्नति : ऐसे उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) जिन्होंने 14,300-18,300 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : विष्णु : विभाग द्वारा अनुसूचित कर्मिक नीति के अनुसार सैन्य वल चिकित्सा काइर से प्रिगेडियर या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी तैनाती द्वारा।
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)

- 1 : 04* (2003)
- 2 : * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिपूर्वक
- 4 : रु. 14,300-400-18,300 (रुपय 14,300-18,300 और व्यवसाय नियुक्ति भत्ता जोड़ा अनुज्ञेय हो सकिता)।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य

- 5 : चयन
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनिधुक्ति द्वारा।
- 50 प्रतिशत प्रतिनिधुक्ति द्वारा।

- 12 : प्रोन्नति : 12000-16500 रु. के वेतनमान के उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनिधुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो :—

- (क)(i) जो मूल कांड/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने 12,000-16,500 रु. के या समगुल्य वेतनमान में मूल कांड या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता है :—

- (i) स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता (मास्टर ऑफ डाक्टर या मास्टर ऑफ सर्जरी) : या समगुल्य।
- (ii) चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ रैजीडेंट या सहायक आचार्य के रूप में दस वर्ष कार्य का अनुभव हो। विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी या समगुल्य

टिप्पण : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांड या ह्रास पद पर प्रतिनिधुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनिधुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 13 : समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)—

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य

- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

3. उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी

- 2 : 04* (2003)
- * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवाय
- 4 : रु. 12000-375-16500 (रुपये 12000-16500 और व्यवसाय निवेश भत्ता जैसा अनुज्ञेय हो सहित)।

- 5 : चयन
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता

- 11 : प्रोन्नति : जब कभी फीडर श्रेणी के अधिकारियों की अनुसूच्यता के कारण प्रोन्नति द्वारा अन्तःफल रहने पर नियुक्ति अधिकारी अग्राह्य तौर पर रक्षा बलों के चिकित्सा कांडर में नियुक्त करने से अधिकारियों के द्वारा पदों को भर सकते हैं परन्तु उनकी संख्या कुल के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- 12 : प्रोन्नति : 10000-15200 रु. के वेतनमान के चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-1 जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियुक्त हो सेवा की तो।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई गिनती अर्हक/पात्रता सेवा, अर्पित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों नाहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसा अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
- 13 : समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) —
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
4. 1 : चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-1
2 : 40* (2003)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचित
4 : रु. 10000-325-15200 (रुपये 10000-15200 और व्यवसाय निषेध भत्ता जैसा अनुशेष हो सहित)।
5 : चयन
6 : लागू नहीं होता
7 : लागू नहीं होता
8 : लागू नहीं होता
9 : लागू नहीं होता
10 : लागू नहीं होता
11 : प्रोन्नति
12 : प्रोन्नति :
- (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति 8000-13500 रु. के वेतनमान के ऐसे चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II में जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।
- (ii) 50 प्रतिशत रक्षा बलों में सदृश पदधारक चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती द्वारा।
- टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी उन्नति अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसा अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
- 13 : समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
5. 1 : चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-II
2 : 64* (2003)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचित
4 : रु. 8000-275-13500 (रुपये 8000-13500 और व्यवसाय निषेध भत्ता जैसा अनुशेष हो सहित)।
5 : लागू नहीं
6 : आयु 35 वर्ष से अनधिक।

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी न कि वह अन्तिम तारीख जो अन्तम, मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा कश्मीर जिले के संगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

- 7 : लागू नहीं होता
8 : आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के पहली या दूसरी या तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हताओं (अनुज्ञाति योग्यताओं के सिवाय) है तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13(3) में दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी।
(ii) अनिवार्य इंटरशिप पूरी की हो।

टिप्पण I :—पूर्णतया अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान की जाएगी।
टिप्पण II :—अनुभव आदि के संबंध में योग्यताओं में छूट संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के बारे में छूट प्रदान की जाएगी, यदि चयन के पश्चात् किसी भी स्तर पर आयोग को इन वर्गों से आवश्यक अनुभव प्राप्त न होने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्धता पर उनके लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जायेगा।

- 9 : लागू नहीं होता
10 : सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
11 : (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने की दशा में रक्षा सेवाओं में समकक्ष पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को तैनाती द्वारा
(ii) 50 प्रतिशत रक्षा सेवाओं में समकक्ष पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती द्वारा
12 : लागू नहीं होता
13 : समूह "क" विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) :
1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —अध्यक्ष
2. उप-महानिदेशक, (वैयक्तिक), सीमा सड़क —सदस्य
3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सीसवि सं/01/59/1999/जी ई-1]

एस. के. यागनिक, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 9th February, 2004

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the General Reserve Engineer Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedules annexed to the rules.

3. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Special requirement regarding liability to serve.**—Any person appointed to the service shall, if so required, be liable to serve in any Defence Services or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such a person,—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; and
(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years;

Provided further that, as and when required to do so in special circumstances, such a person shall be liable further to serve in the Defence Services or on work relating to Defence efforts any where in India or abroad.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. 1. Name of post	: Chief Medical Officer
2. Number of post	: 1* (2003)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 18400-500-22400 (Rs. 18400—22400 plus non-practising allowance when held by a Civilian Chief Medical Officer).
	Note : When held by Armed Forces Medical Officer of the rank of Brigadier or equivalent of the Medical Corps of Defence Forces. The pay scale applicable to Brigadier plus rank pay shall be applicable.
5. Whether selection or non-selection post	: Selection
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable.
7. Whether benefit of added years of service admissible	: Not applicable.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable.
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Promotion.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	: Promotion : Deputy Chief Medical Officer (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 14500—18300 with three years regular service in the grade.

Note : An officer of the rank of Brigadier or equivalent by posting from the Armed Forces Medical Cadre as per the manning policy followed by the department.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :—

1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman
2. Secretary, Border Roads Development Board —Member
3. Director General Border Roads —Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

2. 1. **Deputy Chief Medical Officer (Selection Grade).**

2. 4* (2003)

* Subject to variation dependent on workload.

3. General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.

4. Rs. 14,300-400-18,300.
(Rs. 14,300-18,300 Plus non-practicing allowance as admissible).

5. Selection

6. Not applicable.

7. Not applicable.

8. Not applicable.

9. Not applicable.

10. Not applicable.

11. 50 per cent by promotion failing which by deputation.
50 per cent by deputation.

12. Promotion : Deputy Chief Medical Officer in the pay scale of Rs. 12,000—16,500 with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers of the Central Government :—

- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

- (i) Post Graduate Medical Qualification (Master of Doctor or Master of Surgery), or equivalent.
- (ii) Ten years working experience as Medical Officer or Senior Resident or Assistant Professor, Specialist Medical Officer or equivalent posts.

Note : Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion) :

1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman
2. Secretary, Border Roads Development Board—Member
3. Director General Border Roads—Member

14. Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

3. Deputy Chief Medical Officer

1. : 4* (2003)

2. : *Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.

4. : Rs. 12,000-375-16,500.

(Rs. 12000—16,500 Plus admissible non-practicing allowance).

5. : Selection

6. : Not applicable.

7. : Not applicable.

8. : Not applicable.

9. : Not applicable.

10. : Not applicable.

11. : Promotion :

As and when promotion fails due to non-availability of feeder grade officers, The appointing authority may fill up not more than 20 per cent of the posts by posting of officers holding analogous posts in the medical cadre of Defence Forces as temporary measure.

12. : Promotion : Medical Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. : Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman

2. Secretary, Border Roads Development Board—Member

3. Director General Border Roads—Member

14. : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

4. Medical Officer Grade-I

1. : 40* (2003)

2. : *Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.

4. : Rs. 10,000-325-15,200.

(Rs. 10,000—15,200 Plus admissible non-practicing allowance).

5. : Selection

6. : Not applicable.

7. : Not applicable.

8. : Not applicable.

9. : Not applicable.

10. : Not applicable.

11. : Promotion.

12. : Promotion :

(i) 50 per cent promotion from Medical Officer Grade-II in the pay scale of Rs. 8,000-13,500 with five years regular service in the grade.

(ii) 50 per cent by posting of Medical Officers holding analogous posts in the Defence Forces.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13. : Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman

2. Secretary, Border Roads Development Board—Member

3. Director General Border Roads—Member

14. : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

5. 1 **Medical Officer Grade-II**

2. : 64* (2003)

* Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.
4. : Rs. 8,000-275-13,500.

5. : (Rs. 8,000-13,500 Plus admissible non-practicing allowance).

6. : Not applicable

6. : Not exceeding 35 years

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division, J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar or Lakshdweep).

7. : Not applicable.

8. : Not applicable.

Essential: (i) Medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualification included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) Completion of compulsory internship.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. : Not applicable.

10. : One year for direct recruits.

11. : (i) 50 per cent by direct recruitment failing which by posting of officers holding analogous posts in the Medical Cadre of Defence Forces.

12. : (ii) 50 per cent by posting of officers holding analogous posts in the Medical Cadre of Defence Forces.

12. : Not applicable.

13. : Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Secretary, Border Roads Development Board—Chairman

2. Deputy Director General (Personnel) Border Roads—Member

3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board—Member.

14. : Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. BRDB/01/59/1999/GE-II]
S. K. YAGNIK, Director

